न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 325/2021 तारीख रजू:– 18.08.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

रूपलाल पुत्र रतिचन्द्र जाति जाटव निवासी गुनसार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

1. श्रीमती लीला पत्नि रमेश जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन जिला करौली
2. सुगरसिंह पुत्र रतिचन्द्र जाति जाटव निवासी गुनसार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
3. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायल

2. श्री सन्तोष मुद्गल एडवोकेट गैरसायल सं.1

निर्णय दिनांक :– 29-8-21

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें सायल 1/8 का हिस्सेदार खातेदार है तथा गैरसायल नं01 का पति रमेश तथा गैरसायल सं02 भी सहखातेदार हैं तथा उक्त हिस्सेनुसार विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व 2 क्रूर व बदमाश प्रकृति के व्यक्ति हैं जो आये दिन लडाई– झगडा, दंगा फसाद किसी न किसी व्यक्ति से करते रहे हैं, जबकि सायल एक सीधा साधा किस्म का व्यक्ति है, जो कि जाने कैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 उक्त आराजीयात भूमि के सहखातेदार होने के कारण सयाल के हिस्से के खेत की डोल मेंड को तोडकर सायल के हिस्से की भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। सायल के पास उक्त भूमि के अलावा और कोई जमीन नहीं है। यदि गैरसायल सं01 व 2 ने सायल की उक्त आराजी भूमि जो कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में वर्णित पर कब्जा कर लिया तो सायल के बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इस कारण न्यायालय में उक्त दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दिनांक 05.07.2021 को सायल अपनी उक्त आराजीयात भूमि में बाजरे की फसल की निराई–गुडाई कर रहा था तो गैरसायल सं01 व 2 तथा उनके परिवार वाले सायल के उपर लाठी डण्डा लेकर चढ आये और कहने लगे कि तेरा उक्त आराजी में कोई किसी प्रकार का हिस्सा नहीं है, हम तेरी उक्त भूमि को लट्ठ के बल पर लेकर रहेंगे और सायल को निराई गुडाई नहीं करने दी। इस प्रकार गैरसायल सं01 व 2 अपने मंसूखे पर कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन बखूबी सायलान के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायल सं01 व 2 सायल के हिस्से की उक्त आराजीयात भूमि जो कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में वर्णित है,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कि डोल मेंड को तोडकर अतिक्रमण नहीं करें तथा ना ही सायल की भूमि को उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की वाधा व अडचन पैदा नहीं करें। ऐसा कार्य न तो गैरसायल सं01 व 2 स्वंय करें न किसी अन्य से करावें तथा गैरसायल सं01 व 2 कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करें। जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे तथा सायल को उसकी उक्त आराजीयात भूमि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में वर्णित से बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें, आराजीयात को रहन वयय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं0 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। तथा गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवं झूंठा दावा पेश किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायल को सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में आराजीयात का होना स्वीकार है तथा गैरसायल सं01 का उक्त आराजीयात में हिस्सा है और गैरसायल सं01 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल सं01 सीधी सादी गरीब शांतिप्रिय महिला है, गैरसायल सं01 द्वारा आज दिन तक किसी के साथ लडाई झगडा नहीं किया और ना ही दंगा फसाद ही किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल नं01 ने आज दिन सायल की किसी भी डोल मेंढ को नहीं तोडा है और ना ही कभी सायल की डोल मेढ को तोडने का प्रयास ही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया है। गैरसायल सं01 अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। सायल ने कतई गलत एवं झूंठे तथ्यों का दावा महज गैरसायल सं01 को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश कर दिया है, जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 05.07.2021 गैरसायल सं01 सायल की हिस्से की आराजीयात पर लाठी डण्डा लेकर नहीं चढी और यह भी नहीं कहा कि तेरा इस जमीन में हिस्सा है, और यह भी नहीं कहा कि हम तेरी हिस्से की जमीन पर लाठी के बल पर रहेंगे। सायल को गैरसायल नं01 ने निराई गुडाई करने से नहीं रोका। गैरसायल सं01 का कोई मंसूबा नहीं है। इस मद में वर्णित तमाम बातें सायल ने कतई गलत एवं झूंठी कपोल कल्पित दर्ज कर दी है। सायल को कोई अपूर्तिनीय क्षति नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 गलत है, अस्वीकार है। सायल का कोई प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है और ना ही सायल के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन ही है। प्रार्थना पत्र हाजा व वाद पत्र सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवं झूंठा दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश कर दिये हैं जो कि काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में चाही गई रिलीफ से इंकारी है। सायल विरूद्ध गैरसायल सं01 कोई रिलीफ प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

उज्रात मजीद :– में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। गैरसायल सं01 अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। गैरसायल सं01 का सायल की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2073 –2076 पेश की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल नं01 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2073 –2076 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी किस्तूरी पत्नि भूरसिंह हि01/8 जाति जाटव सा0 गुनसार खातेदार, कौशल्या पत्नि रत्तीचन्द हि01/8, रूपलाल पुत्र रत्तीचन्द हि01/8, रमेश पुत्र रत्तीचन्द हि01/8 सुगरसिंह पुत्र रत्तीचन्द हि01/8 जातियान जाटव सा0देह खातेदार, हरलाल बैरवा पुत्र धन्नाराम बैरवा हि0 4/8 जाति बैरवा सा0 शंकरपुर डौरका तहसील टोडाभीम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में सायल हि01/8 एवं गैरसायल सं01 के पति रमेश पुत्र रत्तीचन्द हि01/8 एवं गैरसायल सं02 सुगरसिंह पुत्र रत्तीचन्द हि01/8 एवं शेष हिस्से के अन्य मुताविक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात सायल एवं गैरसायल सं01 के पति रमेश व गैरसायल सं02 व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर उनका पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायल ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं पूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.08.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ..29-8-22.......... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)